

केसरी देवी - गिरणी क्रमांक 3-00-12/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21-3-18	<p>जोत/१</p> <p>वकील का करीकत उपरोक्त प्रमाणों के जारी में वकील प्रान्त 01 R 10 CPC को नोट प्रेषित किया प्रान्त नोट प्रेषित करने पर रजिस्ट्रार किया जाता है।</p> <p>वकील अपीलान्त ने जाहिर किया कि पत्रकारों के मध्य आउट-ऑफ ऑफिस जमपुर में काजी नामा द्वारा निर्णय है चुका। इस कारण इस अपील का कब कोई कोचिस में ही रहा अपील विद्वा करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्त के निवेदन पर अपील विद्वा किया जाने पर रजिस्ट्रार की जाती है। पत्रावली बाद तरीकत वकील का करीकत दफ्तरी है। निर्णय सुनाया गया।</p>	<p>अपील विद्वा की जाती है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>

प्रमुख अधिकारी एवं  
पदायक अपील अधिकारी  
सीकर